

पत्रांक: 797-E/Policy/Allowance  
दिनांक: /11/2016

RBE No. 131/2016  
NCR PS No.4972/2016

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।  
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।  
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।  
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।  
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.  
प्रिन्सिपल - सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रेक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेंट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली  
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।  
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub: - Recommendations of the Seventh Central Pay Commission - Decision of Government Relating to Grant of Dearness Allowance to Railway Employees - Rates Effective from 01.07.2016.

The copy of Railway Board's letter No. PC-VII/2016/I/7/2/1 dt. 11.11.2016 is sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website [www.ncr.indianrailways.gov.in](http://www.ncr.indianrailways.gov.in)  
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

(V.P. Singh)  
Sr. Personnel Officer/HQ  
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी-एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)  
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)  
(Railway Board)

राज्य कार्यालय  
21 NOV 16  
राजधानी, पल्ले लख नगर  
राज्य कार्यालय

S. No. 9/PC-VII

RBE-2016-2383  
21-11-16

RBE No.: 131/2016

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

New Delhi, dated: 11.11.2016

The General Manager/CAOs(R),  
All India Railways & Production Units,  
(As per mailing list)

NCR

**Sub: - Recommendations of the Seventh Central Pay Commission -  
Decisions of Government relating to grant of Dearness Allowance  
to Railway Employees - Rates effective from 01.07.2016.**

The undersigned is directed to say that consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to Dearness Allowance, the President is pleased to decide that the Dearness Allowance (DA) to all categories of Railway Employees shall be admissible at the rate of 2 percent of basic pay per month, w.e.f. 01.07.2016.

2. The revised pay structure effective from 01.01.2016 includes the Dearness Allowance of 125% sanctioned from 01.01.2016 in the pre-revised pay structure. Thus, Dearness Allowance in the revised-pay structure shall be zero from 01.01.2016.

3. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like special pay, etc.

4. The Government vide Resolution No. 1-2/2016-IC dated 25.07.2016 has decided that till a final decision on Allowances is taken based on the recommendations of the Committee constituted under the Chairmanship of Finance Secretary & Secretary (Expenditure), all Allowances will continue to be paid at existing rate.

5. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume -II (Sixth Edition - 1987) - Second Reprint 2005.

6. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

7. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

8. Hindi version will follow.

महाप्रबन्धक कार्यालय  
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद  
21 NOV 2016  
महाप्रबन्धक

मु०का०अधि०  
मु०का०अधि० (राज)  
उप मु०का०अधि० (राज)  
उप मु०का०अधि० (मुख्या)  
अध्यक्ष (रे०म०प्र०)  
उप मु०का०अधि० (आई०)  
प्र०का० अधि० (राज)  
प्र०का० अधि० (मुख्या)  
प्र०का० अधि० (आई०)  
स०का० अधि० (मर्ती)  
स०का० अधि० (मुख्या)  
मु०का० अधीक्षक/का० अधीक्षक

(Jaya Kumar G)  
Deputy Director, Pay Commission-VII  
Railway Board

Policy

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
रेलवे बोर्ड

क्रम सं. 9/पीसी-VII

फाइल सं. पीसी-VII/2016/11/7/2/1

आरबीई सं. : 131/2016

नई दिल्ली, दिनांक : 11.11.2016

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,  
(डाक सूची के अनुसार).

**विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों - रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान करने के संबंध में सरकार का निर्णय - 01.07.2016 से प्रभावी दरें.**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि महंगाई भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी यह सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि सभी कोटियों के रेल के कर्मचारियों को 01.07.2016 से प्रतिमाह मूल वेतन के 2 प्रतिशत की दर पर महंगाई भत्ता स्वीकार्य होगा।

2. 01.01.2016 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना में संशोधन पूर्व की वेतन संरचना में 01.01.2016 से स्वीकृत 125% का महंगाई भत्ता शामिल है। अतः, 01.01.2016 को संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता शून्य होगा।

3. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित किया जाने वाला वेतन है परन्तु इसमें कोई अन्य किस्म का वेतन जैसे कि विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

4. 25.07.2016 के संकल्प सं. 1-2/2016-आईसी के माध्यम से सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि जब तक वित्त सचिव और सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक सभी भत्तों का मौजूदा दर पर भुगतान किया जाना जारी रहेगा।

5. महंगाई भत्ता पारिश्रमिक के एक विशिष्ट तत्व के रूप में जारी रहेगा और नियम 1303 (एफआर 9 (21)), भारतीय रेल स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण-1987) - दूसरा पुनः मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।

6. महंगाई भत्ता जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे शामिल हों, के भुगतान को अगले उच्चतर रूप में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम पैसे होने पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(जया कुमार जी)

उपनिदेशक, वेतन आयोग-VII  
रेलवे बोर्ड